[2018] 6 एससीआर 698; :

ओएनजीसी पूर्वांचल कर्मचारी संघ

बनाम भारत संघ और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 3511) बी 03 अप्रैल, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम शांतनगौदर

और नवीन सिन्हा, जेजे।

अपील: इंट्रा कोर्ट अपील – औद्योगिक ट्रिब्यूनल सीसी ने श्रमिकों के नियमितीकरण का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने फैसले को बरकरार रखा – उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह विचार लेते हुए कि मामले को ट्रिब्यूनल द्वारा नए सिरे से देखने की आवश्यकता है – औचित्य: उचित नहीं – औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन और एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया विस्तृत विश्लेषण, यह दर्शाता है कि औद्योगिक D_ ट्रिब्यूनल के लिए किसी भी अन्य पहलू पर निर्णय लेने की कोई गुंजाइश नहीं है – एकल न्यायाधीश द्वारा सभी प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था – एक रिट कार्यवाही होने के नाते, डिवीजन बेंच को इंट्रा कोर्ट अपील में, मुख्य रूप से एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करने के लिए बुलाया गया था – डिवीजन बेंच को अपील की शुद्धता पर निर्णय लेने के लिए गुण–दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता होती है। एकल न्यायाधीश का निर्णय, मामले को ट्रिब्यूनल को भेजने के बजाय – इस प्रकार, डिवीजन बेंच के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और मामले को गुण–दोष के आधार पर रिट अपील ों को निपटाने के लिए उसके पास भेज दिया जाता है – सेवा कानून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य। v. नेशनल यूनियन एफ वाटरफ्रंट वर्कर्स एंड ओआरएस। (2001) 7 एससीसी 1: [2002] 2 सपल एससीआर 106 – संदर्भित। केस लॉ रेफरेंस [2002] 2 सपल एससीआर 106 पैरा 4 सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र को संदर्भित: सिविल अपील संख्या 3511

जीओएफ 2018। 2004 के डब्ल्यूए नंबर 266 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांक 02.02.2012 के फैसले और आदेश से 2018

की एच सिविल अपील संख्या 3512 698 ओएनजीसी पूर्वांचल कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ

और ओआरएस।

अपीलकर्ता के वकील प्रवीर चौधरी, रीपक कंसल।

उत्तरदाताओं के लिए जे.पी. कामा, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ सलाहकार, सुश्री कुमुद लता दास, सुश्री देवयानी अशरा, नयन के., एस.एस.रे, सुश्री एस. उषा रेड्डी, राज बहादुर, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय कुरियन द्वारा दिया गया था

, जे.

अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष एक औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले से व्यथित हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भों के दो सेट हैं। सिविल अपील संख्या.....@ SLP(c) No.23494/2012 में, संदर्भ इस प्रकार है:–

"1. क्या अनुबंध 'ए' के अनुसार 22 अनुबंध श्रमिक ओएनजीसी लिमिटेड सिबसागर की स्थापना में स्थायी और बारहमासी प्रकृति की नौकरी कर रहे हैं और ओएनजीसी में नियमित रोजगार के हकदार हैं, यदि हां, तो वे किस राहत के हकदार हैं?

2. क्या अनुबंध 'बी' के अनुसार अनुबंध श्रमिक ओएनजीसी लिमिटेड सिबसागर के किसी भी नियमित कर्मचारी द्वारा किए जा रहे समान या समान प्रकृति का काम कर रहे हैं और वेतन और लाभ के हकदार हैं जैसा कि अन्य अनुबंध श्रमिकों के लिए स्वीकार्य है। सी.एल. का नियम 25(2)(v)(ए) (आरआईए) सह केंद्रीय नियम, 1971? यदि हां, तो वे किस राहत के हकदार हैं? "

3. सिविल अपील संख्या..... @ एसएलपी (सी) संख्या 23495/2012 में, संदर्भ इस प्रकार है:–

"क्या ओएनजीसी लिमिटेड में अपने सदस्यों (जो संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं) की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में ओएनजीसी संविदा मजदूर संघ लकवा का दावा उचित है? यदि हां, तो श्रमिक किस राहत के हकदार हैं? "

4. औद्योगिक न्यायाधिकरण ने श्रमिकों को नियमित करने का निर्देश देते हुए एक पुरस्कार पारित किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इसे बरकरार रखा।

5. हालाँकि, डिवीजन बेंच ने यह धारित किया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य के फैसले के आलोक में इस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा नए सिरे से देखने की जरूरत है। वी. नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स और अन्य, (2001) 7 एससीसी 1 में रिपोर्ट की गई। बेंच ने विचार किया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या कोई वास्तविक अनुबंध था। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 6 एस.सी.आर.

6. व्यथित, अपने संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिक इस न्यायालय के समक्ष हैं।

7. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रवीर चौधरी, ओएनजीसी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जे.पी. कामा और भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी को सुना है, जिनकी सहायता अन्य वकील ने की है।

8. औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण से गुजरने पर, हम पाते हैं कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए किसी भी अन्य पहलू पर फैसला देने की शायद ही कोई गुंजाइश है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सभी प्रासंगिक पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। रिट कार्यवाही होने के कारण, डिवीजन बेंच को

इंट्रा कोर्ट अपील में मुख्य रूप से और अधिकतर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। इसलिए, हमारे विचार में, डिवीजन बेंच को मामले को ट्रिब्यूनल में भेजने के बजाय, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की शुद्धता पर निर्णय लेते हुए गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने की आवश्यकता है।

9. मामले को ध्यान में रखते हुए, हम डिवीजन बेंच के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं और मामलों को उच्च न्यायालय में भेजते हैं। हम डिवीजन बेंच से अनुरोध करते हैं कि वह रिट अपीलों का गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निपटारा करें, अधिमानतः आज से छह महीने के भीतर।

10. तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

12. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान की अपीलें निस्तारित

Digitally signed by Ashutosh - II
Date: 2023.11.02 15:25:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court